रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102024-257957
CG-DL-E-18102024-257957

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4137]	नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 14, 2024/आश्विन 22, 1946
No. 4137]	NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2024/ASVINA 22, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,14 अक्तूबर, 2024

का. आ. 4500(अ).—– केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2994(अ), तारीख 11 सितम्बर, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2994 (अ), तारीख 11 सितम्बर, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv)

तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2994 (अ), तारीख 11 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा क्रमशः रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. मनीटरी समिति.** – केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर एक मनीटरी समिति का गठन करेगी, अर्थात्: -

(i)	उप आयुक्त	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	पर्यावरण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जिसे प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।	सदस्य;
(iii)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ सदस्य, जिसे पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर नामित किया जाएगा।	सदस्य;
(iv)	पश्चिमी बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(v)	जिला भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(vi)	राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य, पदेन;
(vii)	प्रभागीय वन अधिकारी, गोरुमारा वन्यजीव प्रभाग	सदस्य सचिव, पदेन।

6. मनीटरी समिति के कार्य:- (1) मनीटरी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अंतर्गत दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए, यथास्थिति, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण को निर्दिष्ट किए गए हैं।

(2) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा मनीटरी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों के पास निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मनीटरी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन

शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मनीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकेगी।

(5) मनीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-IV** में निर्दिष्ट रूपविधान में प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मनीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसा वह ठीक समझे।"

[फा. सं. 25/38/2016-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में को अधिसूचना संख्या का.आ. 2994(अ) तारीख 11 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2024

S.O. 4500(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Neora Valley National Park, Maharashtra in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2994 (E), dated the 11th September, 2017;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S. O. 2994(E), dated the 11th September, 2017;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2994 (E), dated the

11th September, 2017, namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraph shall be respectively substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. - (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely:-

(i)	The Deputy Commissioner	– Chairman, ex officio;
(ii)	one representative of Non-Governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of West Bengal from time to time every three years	– Member;
(iii)	an expert in the area of ecology and environment to be Member; nominated by the Government of West Bengal from time to time every three years	– Member;
(iv)	representative of the West Bengal Pollution Control Board	Member, ex officio;
(v)	representative of District Land and Land Reforms Officer	Member, ex officio;
(vi)	Member of the State Biodiversity Board	Member, ex officio;
(vii)	Divisional Forest Officer, Gorumara Wildlife Division	Member Secretary. ex officio.

6. **Functions of Monitoring Committee.**– (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S. O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from the Department, representative from the industry associations or the stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the action taken report annually of its activities for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife

Warden of the State by the 30th June of that year in pro-forma specified in **Annexure-IV**.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions. ".

[F. No. 25/38/2016-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note.–The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2994(E), dated the 11th September, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.10.18 16:25:22 +05'30'